भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1075**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

## डिजिटल उर्वरक वितरण प्रणाली

**1075. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार डिजिटल उर्वरक वितरण प्रणाली (उर्वरक में डीबीटी-प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई सुधार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या हाल ही में यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरकों की कीमतें बढ़ी हैं;
(घ) यदि हां, तो किसानों को राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क):** महाराष्ट्र में उर्वरकों में डीबीटी के अंतर्गत शामिल किए गए विशिष्ट लाभार्थियों की कुल संख्या 39,85,864 है। लाभार्थियों की जिलावार संख्या **अनुलग्नक** में संलग्न है।

**(ख):** महाराष्ट्र में, उर्वरकों में डीबीटी के अंतर्गत, आधार प्रमाणित पीओएस बिक्री के माध्यम से लाभार्थी को सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री की जाती है।

**(ग), (घ) और (ड़):** यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सांविधिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूरिया के 45 किलोग्राम की बोरी के लिए एमआरपी जीएसटी के बिना 242 रुपये है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी को विनियंत्रित कर दिया जाता है और कंपनियों को अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी तय करनी होती है। तथापि, सरकार द्वारा तर्कसंगतता दिशा-निर्देशों के माध्यम से मूल्यों की तर्कसंगतता सुनिश्चित की जाती है। डीएपी को 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की बोरी की सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए रबी 2025-26 सीजन के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा विशेष प्रावधान जैसे अन्य लागतों के लिए 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन जैसे किए गए हैं, जिनमें फैक्ट्री गेट से खेत तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/हानि, शामिल है को कवर करने के लिए एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और शुद्ध एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के @ 4% उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी के लिए बढ़ाया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखे जा सके।

********

**अनुलग्नक**

**यह अनुलग्नक दिनांक 05.12.2025 लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1075 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।**

**महाराष्ट्र में उर्वरकों में डीबीटी के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र | अहमदनगर | 244470 |
| 2. | महाराष्ट्र | अकोला | 86214 |
| 3. | महाराष्ट्र | अमरावती | 116244 |
| 4. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | 223545 |
| 5. | महाराष्ट्र | बीड | 118583 |
| 6. | महाराष्ट्र | भंडारा | 81256 |
| 7. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | 126073 |
| 8. | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | 122780 |
| 9. | महाराष्ट्र | धुले | 89312 |
| 10. | महाराष्ट्र | गढ़चिरौली | 71473 |
| 11. | महाराष्ट्र | गोंदिया | 111135 |
| 12. | महाराष्ट्र | हिंगोली | 58901 |
| 13. | महाराष्ट्र | जळगाव | 182034 |
| 14. | महाराष्ट्र | जालना | 113565 |
| 15. | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | 151163 |
| 16. | महाराष्ट्र | लातूर | 81846 |
| 17. | महाराष्ट्र | नागपुर | 111598 |
| 18. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | 105199 |
| 19. | महाराष्ट्र | नंदुरबार | 78024 |
| 20. | महाराष्ट्र | नासिक | 295341 |
| 21. | महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | 87766 |
| 22. | महाराष्ट्र | पालघर | 145677 |
| 23. | महाराष्ट्र | परभणी | 76199 |
| 24. | महाराष्ट्र | पुणे | 164670 |
| 25. | महाराष्ट्र | रायगढ़ | 51298 |
| 26. | महाराष्ट्र | रत्नागिरी | 22660 |
| 27. | महाराष्ट्र | सांगली | 157338 |
| 28. | महाराष्ट्र | सातारा | 157604 |
| 29. | महाराष्ट्र | सिंधुदुर्ग | 19761 |
| 30. | महाराष्ट्र | सोलापुर | 178750 |
| 31. | महाराष्ट्र | ठाणे | 66330 |
| 32. | महाराष्ट्र | वर्धा | 73875 |
| 33. | महाराष्ट्र | वाशिम | 80421 |
| 34. | महाराष्ट्र | यवतमाल | 134759 |
| | | **कुल** | **39,85,864** |